

भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति: एक समीक्षा

डॉ० राम सेवक सिंह यादव

एसोसिएट प्रोफेसर,

समाजशास्त्र भाऊ राव देवरस राजकीय महाविद्यालय दुर्धी सोनभद्र

शिक्षा का मानव के जीवन में जो महत्व है वह अतुलनीय है। शिक्षा का एक स्वच्छ समाज के निर्माण में अति महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा के बिना एक स्वच्छ एवं अनुकरणीय समाज की कल्पना भी नहीं का सकती है। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा में नामांकन होता है जो प्रायः छात्रों की इच्छानुसार होता है। उच्च शिक्षा विश्वविद्यालयों, व्यावसायिक विश्वविद्यालयों, प्रौद्योगिकी संस्थानों आदि के द्वारा दी जाती है। हमारा देश भारत उच्च शिक्षा में प्राचीन काल से ही अग्रणी रहा है। यहाँ के नालंदा एवं तक्षशिला विश्वविद्यालय का प्राचीन काल में अद्वितीय स्थान था जहाँ चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस, जापान से भी छात्र पढ़ने आते थे। परंतु आज की स्थिति कुछ और ही है। राष्ट्रीय मूल्यांकन व प्रत्यायन परिषद् (नैक) का शोध बताता है कि देश के 90 प्रतिशत कालेजों एवं 70 प्रतिशत विश्वविद्यालयों का स्तर बेहद कमज़ोर है। आजादी के बाद जिस रफ्तार से देश की शिक्षा को आगे बढ़ना चाहिए वह नहीं हो रहा। ऐसे में महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। तकनीकी कालेजों और संस्थानों की संख्या भी बढ़ गई है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या में भी अच्छी खासी वृद्धि हुई है। लेकिन इस विस्तार के बावजूद हमारी शिक्षा गुणात्मक दृष्टि से अभी भी बहुत पिछड़ी हुई है।

परिचय:-

भारत प्राचीन काल से ही उच्च शिक्षा के क्षेत्रा में अग्रणी रहा है। प्राचीन समय में गुरुकुल पद्धति शिक्षा दी जाती थी। उच्च शिक्षा देने वाले गुरुकुलों की बड़ी विशेषता यह थी कि उनमें प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्चतम शिक्षा शिष्टाध्यापक प्रणाली से दी जाती थी। ऊपर कक्षा के छात्र अपने से नीचे के कक्षा के छात्रों को पढ़ाते थे। यद्यपि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के पुत्र ही भर्ती किए जाते थे और वर्णों के अनुकूल ही बालकों को शिक्षा भी दी जाती है तथापि नित्यधर्म, स्वच्छता, शील और शिष्टाचार की शिक्षा प्रत्येक छात्र को दी जाती है थी। और प्रत्येक छात्र को गुरुकुल में रहकर आश्रम का समस्त कार्य स्वयं करना पड़ता था। व्यवस्था होने पर भी उनके अभिभावक चाहे वह राजा ही क्यों न हो, गुरुकुल के प्रबंध में हस्तक्षेप नहीं करता था। नालंदा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में जहाँ छात्र चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया आदि देशों से शिक्षा ग्रहण करने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था। एक प्राचीन क्षेत्र से जात होता है, प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल आर्यभट्ट भी इस विश्वविद्यालय के प्रमुख रहे थे। इसकी प्रवेश परीक्षा अत्यंत कठिन होती थी और प्रतिभाशाली विद्यार्थी ही प्रवेश पा सकते थे। उन्हें तीन कठिन परीक्षा स्तरों को उत्तीर्ण करना होता था। यहाँ पर वेद, वेदांग, सांख्य, व्याकरण, दर्शन, ज्योतिष, योगशास्त्र, चिकित्साशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। खगोल शास्त्र अध्ययन के लिए एक विशेष विभाग था। इसके बाद मध्यकाल में मुस्लिम राज्य की स्थापना होते ही इस्लामी शिक्षा का प्रसार होने लगा। मदरसे उच्च शिक्षा के केन्द्र होते थे। यहाँ पर प्रधानता धार्मिक शिक्षा दी जाती थी साथ-साथ इतिहास, साहित्य, व्याकरण, तर्कशास्त्र, गणित, कानून इत्यादि की पढ़ाई होती थी। आधुनिक काल में शिक्षा की नींव यूरोपीय ईसाई धर्मप्रचारक तथा व्यापारियों के हाथों से डाली गई। इस काल में लार्ड मैकाले के तर्क वित्क और राजा राम मोहन राय के समर्थन से शिक्षा की स्थिति में काफी सुधार हुआ। कलकत्ता, बनारस, संस्कृत कालेज उच्च शिक्षा केन्द्र के रूप में स्थापित हुए। स्वतंत्रता के बाद भी उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाने के कई प्रयास किए गए। जिसमें राधाकृष्णन आयोग ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

उद्देश्य

भारतीय उच्च शिक्षा के गौरवपूर्ण इतिहास का प्राचीन काल से वर्तमान काल तक का अध्ययन करना। साथ ही वर्तमान में उच्च शिक्षा की स्थिति एवं कमियों का अध्ययन करना।

शोध पद्धति:-

द्वितीयक सामग्री शिक्षा से संबंधित किताबों, लेखों, पत्रिकाओं समाचार पत्रों से लिया गया है। जिसे उचित क्रमानुसार सजाने का प्रयास किया गया है।

प्राचीन काल में उच्च शिक्षा

भारत में वैदिक युग के गुरुकुलों को विश्वविद्यालय का प्राचीन रूप कहा जा सकता है' क्योंकि वहाँ पर उच्च शिक्षा की व्यवस्था थी। बाद में, उपनिषद तथा ब्राह्मण काल में, हम परिषदों को विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करते हुए पाते हैं। बौद्ध काल में शिक्षा के सुसंगठित केंद्रों की स्थापना हुई जिनमें तक्षशिला और नालंदा अत्यंत प्रसिद्ध थे। पाठ्क्रम में वेद वेदांग तथा विभिन्न कलाएँ जैसे चिकित्सा शल्य, ज्योतिष, नक्षत्र गणना, कृषि आदि सम्मिलित थे। बौद्ध तथा जैन दर्शन एवं तर्कशास्त्र भी पढ़ाए जाते थे। काठियावाड में बल्लभी तथा दक्षिण में काँची भी तक्षशिला और नालंदा के समान शिक्षा के बड़े केन्द्र थे। नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए कठिन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना होता था। इस विश्वविद्यालय में आचार्य छात्रों को मौखिक व्याख्यान द्वारा शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त पुस्तकों की व्याख्या भी होती थी। दिन के हर पहर शास्त्रार्थ, अध्ययन तथा शंका समाधान चलता रहता था। यहाँ महायान के प्रवर्तक नागार्जुन, वसुवन्धु, असंग तथा धर्मकीर्ति की रचनाओं का सविस्तार अध्ययन होता था। विश्वविद्यालय में शिक्षा, भोजन, वस्त्र, औषधि और उपचार सभी निःशुल्क थे। राज्य की ओर से विश्वविद्यालय को दो सौ गांव दान में मिले थे जिससे प्राप्त आय और अनाज से उसका खर्च चलता था।

मध्यकाल में उच्च शिक्षा:-

भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना होते ही इस्लामी शिक्षा का प्रसार होने लगा। फारसी जानने वाले ही सरकारी कार्य के योग्य समझे जाने लगे। हिंदू अरबी और फारसी पढ़ने लगे। उच्च शिक्षा के लिए मदरसों की स्थापना होने लगी। इल्तुतमिश ने अपने काल में अनेक मदरसों की स्थापना की दिल्ली, बीदर, जौनपुर, आगरा, शिक्षा के केन्द्र थे। इस काल में शिक्षकों का भी बड़ा सम्मान था। वे विद्रान और सञ्चरित्र होते थे। सादगी सदाचार और विद्याप्रेम पर जोर दिया जाता था। कंठस्य करने की परंपरा थी। जीविका उपार्जन के लिए भी शिक्षा दी जाती थी। कोई परीक्षा नहीं होती थी। अध्ययन अध्यापन में प्राप्त अवसरों में शिक्षक छात्रों की योग्यता और विद्रान के विषय में तथ्य प्राप्त करते थे। मुसलमान शासकों के संरक्षण के अभाव में भी संस्कृत काव्य, नाटक, व्याकरण, दर्शन ग्रंथी की रचना और उनका पाठन-पाठन बराबर होता रहा। मध्यकाल में भी उच्च शिक्षा फलता-फूलता रहा।

आधुनिक काल में उच्च शिक्षा:-

आधुनिक भारत में शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम इसाई धर्मप्रचारकों ने किया। उनके द्वारा कई विद्यालयों की स्थापना की गई। 1780 ई में कलकत्ते में 'कलकत्ता मदरसा' और 1791 में बनारस में संस्कृत कालेज ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए। 1813 के आज्ञापत्र के अनुसार शिक्षा में धन व्यय करने का निश्चय किया गया। लार्ड मैकाले और राजा राम मोहन राय के समर्थन से अंग्रेजी और साथ-साथ पश्चिमी विषयों के अध्ययन और अध्यापन पर जोर दिया गया। अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार के साथ-साथ अधिक कर्मचारियों की और चिकित्सकों, इंजीनियरों और कानून जानने वाली की आवश्यकता पड़ने लगी। मेडिकल, इंजीनियरिंग और ला कालेज की स्थापना होने लगी। स्नियों की दशा सुधारने के लिए और उनकी शिक्षा के लिए ज्योतिबा फुले ने 1848 में एक स्कूल खोला। यह इस काम के लिए दश में पहला विद्यालय था। 1854 में बुड डिस्पैच आया जिसके बाद औद्योगिक विद्यालयों और विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। 1857 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय

स्थापित हुए। 1870 में बाल गंगाधर तिलक और उनके सहयोगियों द्वारा पूजा में फग्युसन् कालेज, 1886 में आर्य समाज द्वारा लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कालेज और 1898 में काशी में श्रीमती एनी बेसंट द्वारा सेंट्रल हिन्दू कालेज स्थापित किए गए। लार्ड कर्जन ने विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा की उन्नति के लिए 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया। पाठ्यक्रम, परीक्षा, शिक्षण, कालेजों की शिक्षा, विश्वविद्यालयों का पुनर्गठन इत्यादि विषयों पर विचार करते हुए आयोग ने सुझाव उपस्थित किए। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय कानून बना। 1905 के स्वदेशी आंदोलन के समय कलकत्ते में जातीय शिक्षा परिषद् की स्थापना हुई और नेशनल कालेज स्थापित हुआ जिसके प्रथम प्राचार्य अरविंद घोष थे। बंगाल टेक्निकल इंसटिन्यूट की स्थापना हुई।

1916 तक भारत में पांच विश्वविद्यालय थे। अब नए सात विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तथा मैसूर विश्वविद्यालय 1916 में, पटना विश्वविद्यालय 1917 में, ओसमानिया विश्वविद्यालय 1918 में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 में और लखनऊ और ढाका विश्वविद्यालय 1921 में स्थापित हुए। दिल्ली 1922, नागपुर 1923, आगरा 1927, आंध्र 1926 और आज्ञामलाई 1926 में विश्वविद्यालय स्थापित हुए। बंबई, पटना, कलकत्ता, पंजाब, मद्रास और इलाहाबाद विश्वविद्यालयों का पुनर्गठन हुआ। कालेजों की संख्या में वृद्धि होती गई। व्यावसायिक शिक्षा, ख्रीशिक्षा, मुसलमानों की शिक्षा, हरिजनों की शिक्षा तथा अपराधी जातियों की शिक्षा में उन्नति हुई।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शिक्षा:-

राधाकृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भारत सरकार द्वारा 1948 में राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया, जिसने उच्च शिक्षा के विकास के अनेक पहलुओं पर विचार किया तथा उच्च शिक्षा एवं विश्वविद्यालय के विकास के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। राधाकृष्णन आयोग ने अपने प्रतिवेदन में विश्वविद्यालय को सभ्यता का अंग कहा। विश्वविद्यालय को राष्ट्र का निर्माण करना है और यह तभी हो सकता है जब उच्च कोटि की सभ्यता एवं संस्कृति का निर्माण होगा। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के कार्य की सफलता हमारे विद्यालयों एवं महाविद्यालयों से निकलने वाले गुणों पर निर्भर करती है। आयोग को जो संस्तुतियां देने का कार्य सौंपा गया वह है:-

1. भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा तथा अनुसंधान के उद्देश्य
2. विश्वविद्यालयों की वित्त व्यवस्था
3. विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम
4. विश्वविद्यालयों में शिक्षण माध्यम
5. विश्वविद्यालयों के प्रवेश मानक
6. भारतीय संस्कृति, इतिहास, साहित्य, भाषा, दर्शन व ललित कलाओं का उच्च अध्ययन
7. अध्यापकों की योग्यता, सेवा, शर्त, वेतन तथा कार्य

आयोग द्वारा दिए गए सुझाव:-

विश्वविद्यालय को समवर्ती सूचि में रखा जाए। केन्द्र सरकार धन, कुशल, प्रशासन, विशेष अध्ययन की सुविधाओं से समन्वय, राष्ट्रीय नीतियों, कुशल प्रशासन, विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय नीतियों, विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय अनुसंधान, प्रयोगशालाओं वैज्ञानिक सर्वेक्षण आदि के लिए विश्वविद्यालय से संबंध स्थापित करें।

विश्वविद्यालयों को अनुदान हेतु केन्द्रीय अनुदान आयोग की स्थापना हो। सरकारी कालेजों के विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि कालेज में परिवर्तित कर दिया जाए।

प्रत्येक विश्वविद्यालय में ये अधिकारी-विजिटर (राष्ट्रपति), कुलाधिपति (राज्यपाल) कुलपति, सोनेटर्स, कार्यकारी परिषद्, शैक्षणिक परिषद् हो। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिस रफतार से देश की शिक्षा को प्रगति करना चाहिये वो नहीं हो पा रहा है। देश के वर्तमान परिदृश्य के बारे में एक कवि ने अपनी चार पंक्तियों में वर्णन किया है।

“चलो जलाएं दीप वहाँ, जहाँ अभी भी अंधेरा है। शिक्षा पाकर भिक्षा मांगे, युवजन खाए ठोकर आज। आजादी का स्वप्र दिखाकर, पांखंडी करते हैं राज॥ भ्रष्ट व्यवस्था ने भी डाला, अब यहाँ डेरा है। चलो जलाएं दीप वहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है।” हम सभी शिक्षा के वास्तविक लक्ष्य व शिक्षा की वर्तमान स्थिति की खाई को पाटने में लगे हैं। हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कुछ विसंगतियां, विकृतियां आ गई हैं जो विधर्मी विचारधारा के लोग कर रहे हैं। द टाइम्स विश्व यूनिवर्सिटीज रैंकिंग (2013) के अनुसार अमरीका का कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नालोजी चॉटी पर है जबकि भारत में पंजाब विश्वविद्यालय का स्थान विश्व में 226वाँ है।

वर्तमान भारत में उच्च शिक्षा की चिंताएँ:-

किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था कितनी उन्नत है इस तथ्य का मूल्यांकन तीन मापदंडों के आधार पर किया जाता है। पहला मापदंड है उच्च शिक्षा तक कितने युवाओं की पहुँच है, दूसरा मापदंड है क्या उच्च शिक्षा न्याय संगत है और तीसरा है, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता कैसी है, यह दुख की बात है कि इन तीनों ही मापदंडों पर हम विफल रहे हैं।

वित्तीय समस्याएँ और विभव सामाजिक मजबूरियों के कारण भी उच्च शिक्षा तक नहीं पहुँच पाते।

भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों में काफी वृद्धि हुई है लेकिन उनकी गुणवत्ता में कोई वृद्धि नहीं है।

अध्यापकों की कमी के साथ-साथ पुस्तकों एवं पुस्तकालयों को अभाव के कारण भी छात्र उच्च शिक्षा से वंचित है। आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी 15 से 25 फीसदी शिक्षकों की कमी है।

आज शिक्षा एक व्यवसाय का रूप ले चुकी है जिसमें महंगी होती शिक्षा और शिक्ष क्रृष्ण ने भी देश में उच्च शिक्षा को पंगु बनाने में अहम भूमिका निभाई है।

योजना आयोग (नीति आयोग) के अनुसार भारत में केवल 17.5 प्रतिशत स्नातक युवा ही रोजगार के लायक हैं। हमारे उच्च शिक्षा संस्थानों में चलने वाले अनुसंधान कार्यक्रमों की गुणवत्ता वैश्विक स्तर के आसपास भी नहीं है।

विश्व के सर्वश्रेष्ठ 200 शिक्षण संस्थानों की सूची में भारत का एक भी संस्थान शामिल नहीं है। हो सकता है ये सूची त्रुटिमुक्त नहीं हो किर भी हमारी स्थिति अच्छी नहीं है।

राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद का शोध बातता है कि भारत के 90 फीसदी कालेजों और 70 फीसदी विश्वविद्यालयों का स्तर बहुत कमज़ोर है।

संचार और तकनीक के क्षेत्र में वर्तमान पीढ़ी के शिक्षित युवाओं ने देश विदेश में सम्मानजनक स्थान दिलाया है जिसकी सराहना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिल रही है। लेकिन उच्च शिक्षा के संबंध में चिंताजनक आंकड़े हमारी प्रगति को ढक देते हैं।

निष्कर्ष:-

सरकार को न सिर्फ उच्च संस्थानों की संख्या बढ़ानी है बल्कि उसकी गुणवत्ता को भी श्रेष्ठ स्तर पर लाना होगी। शैक्षणिक संस्थानों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भी अध्यापकों की भारी कमी है जिसकी दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ छात्र माध्यमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा की ओर आकर्षित हो, इसके लिए सरकार के साथ-साथ सभी वर्ग के लोगों जागरूकता संदेश फैलाना चाहिए। नियमों की शिक्षा पर सरकार ध्यान दे रही है लेकिन इसे और जोर-शोर से प्रेरित करने की आवश्यकता है।

शिक्षा एकरूपी नहीं होना चाहिए। सिखाने वाला संगठन ऐसा हो जो स्वतंत्रता / स्वायत्ता पर बल दे। शैक्षिक संस्थाएँ वस्तु नहीं पैदा करते वे मनुष्य रचते हैं और ज्ञान के द्वारा उसका परिष्कार और परिमार्जन करते हैं। हमें विचार करना चाहिये कि उच्च शिक्षा का उद्देश्य क्या है ? हम किस तरह के मनुष्य की परिकल्पना कर रहे हैं। हर शिक्षा संस्था अपनी शक्ति और विशिष्टता के उन क्षेत्रों को रेखांकित करे जिनमें प्रामाणिक रूप से उसके द्वारा योगदान संभव है। मोटे तौर पर कह सकते हैं कि गुणवत्ता शिक्षा की यह स्वाभाविक अपेक्षा होती है कि उसमें छात्र और अध्यापक ज्ञान की प्रक्रिया के साथ गहराई से जुड़े। साथ में छात्रों में संस्कार और अनुशासन लाकर ही सकरात्मक फल की प्राप्ति संभव है।

संदर्भ सूची:-

1. एसो एनो मुखर्जी, हिस्ट्री आफ एजुकेशन इन इंडिया (1957)
2. शिक्षा की दशा एवं दिशा, डा० सुरेन्द्र वर्मा
3. उच्च शिक्षा के उद्देश्य, प्रो० गिरीश्वर मिश्र
4. भारतीय उच्च शिक्षा: 10 तथ्य सैकड़ों सवाल, रेहान फजल